:: न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड (राज.) ::

क्रमांकः 52 दिनांकः 09/10/24

:: संशोधित आदेश ::

इस कार्यालय के पूर्व आदेश **क्रमांक 38 दिनांक 27.09.2024** के द्वारा **दिनांक 11.10.2024, 12.10.2024** व **13.10.2024** के राजकीय/दशहरा अवकाशों में **श्री शारिक हुसैन, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना** की एवं **दिनांक 30.10.2024, 31.10.2024, 01.11.2024, 02.11.2024** व **03.11.2024** के राजकीय/दीपावली अवकाशों में **सुश्री शहनाज खान लोहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, भवानीमण्डी** की रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई थी। प्रशासनिक कारणों से उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते झालावाड़ न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों के पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड अभिवृद्धि व अन्य आवश्यक प्रकृति के कार्य, जिसमें धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन, मृत्युकालीन कथन, धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मृत्यु समीक्षा करना शामिल है, को **दिनांक 11.10.2024, 12.10.2024 व 13.10.2024** के राजकीय/दशहरा अवकाशों में करने के लिए **सुश्री शहनाज खान लोहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, भवानीमण्डी** को एवं **दिनांक 30.10.2024, 31.10.2024, 01.11.2024, 02.11.2024** व **03.11.2024** के राजकीय/दीपावली अवकाशों में करने के लिए **श्री शारिक हुसैन, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना** को अधिकृत किया जाता है। इसके अलावा पूर्व का मूल आदेश यथावत रहेगा।

-Sd-

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड।

क्रमांकः 1510 दिनांकः 09/10/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैः-

01. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झालावाड़
02. श्री शारिक हुसैन, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना।
03. सुश्री शहनाज खान लोहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, भवानीमण्डी।
04. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक झालावाड को प्रेषित कर लेख है कि झालावाड जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को उक्त आदेश से जरिये वितन्तु संदेश सूचित किया जावे ।
05. प्रभारी अधिकारी वायर लैस केन्द्र झालावाड को प्रेषित कर लेख है कि झालावाड़ जिले के समस्त थानाधिकारियों को उक्त आदेश से जरिये वितन्तु संदेश सूचित किया जावे।
06. आदेश/संबंधित पत्रावली।
07. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय को झालावाड न्याय क्षैत्र की **Website-jhalawar.dcourts.gov.in** पर इस आदेश को अपलोड़ करने हेतु।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड़।